संख्या-44/2026/625/77-1-2026(1618045)

प्रेषक,

रामबृज राम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21-09-2026

विषय:- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप) लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ के पत्र संख्या- इटप/प्रशा०/2026-27/89, दिनांक 19.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या- 7/2026/296/77-1-2026(1618045) दिनांक 30.04.2026 द्वारा इटप, लखनऊ के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू० 2,02,00,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-67,33,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। अत: उक्त प्राविधनित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त रू0-67,33,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में जारी निर्देशो के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्ष 2885-60-800-18-इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग, उ०प्र० (इटप)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-2,02,00,000.00 (रूपया दो करोड दो लाख मात्र) का एक तिहाई अर्थात रू0-67,33,000.00 (रूपया सड़सठ लाख तैंतीस हजार मात्र) प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-7/2026/296/77-1-2026(1618045) दिनांक 30.04.2026 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। सम्प्रति धनराशि रू0-1,34,67,000.00 (रूपया एक करोड चौतीस लाख सड़सठ हजार मात्र) अवशेष है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में जारी निर्देशो के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में उक्त अवशेष धनराशि रू0-1,34,67,000.00 (रूपया एक करोड चौतीस लाख सड़सठ हजार मात्र) में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0-67,33,000.00 (रूपया सड़सठ लाख तैंतीस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियम, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की सूचना ससमय शासन के वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 67,33,000.00 (रूपया सड़सठ लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608001800 इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (इटप) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-6-38-X-2026-27, दिनांक 10.09.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रामबृज राम)
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

संख्या-44/2026/625/77-1-2026(1618045), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ०प्र०, कानपुर।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।
5- महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु०-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
8- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामबृज राम)
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in